न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :–11/2023 **(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2023/98)**

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

———————— प्रार्थी

बनाम

राकेश कुमार पुत्र श्री रमेश उम्र 42 वर्ष जाति कश्यप निवासी कोटला दरवाजे के बाहर, तहसील व जिला धौलपुर।

————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुशमाकर गर्ग एडवोकेट

निर्णय ***दिनांक* 29.04.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 06.11.2023 को मै0 राकेश कांटे कैटर्स ऋषभ पैट्रोल पम्प के पास जी0टी0 रोड धौलपुर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक कार्या में उपयोग होना पाये जाने पर दुकान को सील किया गया। दिनांक 08.11.2023 को फर्म के प्रोपराइटर श्री राकेश कुमार द्वारा उपस्थित होकर दुकान को खोलने हेतु कहे जाने पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं प्रार्थी उक्त सील दुकान को खोलने हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर फर्म के प्रोपराइटर श्री राकेश कुमार की उपस्थित मिले पूर्व में दुकान पर लगाई गई सील–चपडी यथावत मिली जिसको सभी गवाहों के समक्ष खोला गया। मौके पर दुकान में कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिस बावत पूछे जाने पर श्री राकेश कुमार द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया। मौके पर उक्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल. 09, आई.ओ.सी.एल. 01 एवं बी.पी.सी.एल. 01) का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर धौलपुर स्थित शिवेन गैस सर्विस घूल कोट रोड धौलपुर के ऑफिस बॉय श्री हेमंत गौड़ पुत्र श्री राजवीर गौड़ जाति

गौड निवासी आनन्द नगर कॉलौनी सैपऊ रोड धौलपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल. पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 का उल्लंघन होना पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल. 09, आई.ओ.सी.एल. 01 एवं बी.पी.सी.एल. 01) मय गैस 85.200 किलो ग्राम, को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द अभिग्रहणनामा, फर्द सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्शा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुशमाकर गर्ग एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उक्त जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है और प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्यां में प्रयोग नही किया है इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। अप्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राकेश कांटे कैटर्स ऋषभ पैट्रोल पम्प के पास जी0टी0 रोड धौलपुर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्यो में उपयोग किया जाना पाया गया है। मौके पर उपस्थित श्री राकेश कुमार जिन्होंने स्वयं को फर्म का प्रोपराइटर होना बताया से पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मौके पर जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के नहीं है और प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्यां में प्रयोग नही किया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराधन नहीं किया गया है और प्रार्थी का जब्तशुदा सामान से कोई सम्बध सरोकार नहीं है। जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.11.2023 को मै0 राकेश कांटे कैटर्स ऋषभ पैट्रोल पम्प के पास जी0टी0

रोड धौलपुर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्यो में उपयोग किये जाने की जांच के दौरान मौके पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर उपलब्ध पाये गये जिनका प्रयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाना पाया गया। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये। मौके पर राकेश कांटे कैटर्स में घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य में करता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल. 09, आई.ओ.सी.एल. 01 एवं बी.पी. सी.एल. 01) मय गैस 85.200 किलो ग्राम को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर